(ख) यदि हां, तो ये चुने हुए स्थल कौन-कौन से हैं;

(ग) इन चुने हुए स्थलों में से कितने स्थलों पर गुणवत्ता जांच केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है और शेष प्रत्येक स्थल पर जांच केन्द्र स्थापना के किस चरण में हैं; और ;

(घ) गुणवत्ता जांच केन्द्रों की प्रभावकारिता में क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद): (क) से (ग) गुणवत्ता जांच केन्द्र (क्यू॰टी॰सी॰) स्थापित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने 1986 में एक योजना शुरू की थी। आई डी बी आई द्वारा जिन ग्यारह केन्द्रों के स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई थी उनमें से सात केन्द्र कोयम्बतूर, कोचीन, हावड़ा, बंगलोर, मपूसा, गाजियाबाद और नयी दिल्ली में स्थापित कर दिये गए हैं। भुवनेश्वर और रुड़की में क्यू॰टी॰सी॰ की स्थापना की जा रही है। धनबाद और श्रीनगर में क्यू॰टी॰सी॰ की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(घ) जो सात क्यू॰टी॰सी॰ परिचालन में हैं उनमें से तीन केन्द्र लगभग एक वर्ष पहले स्थापित किए गए थे और इन्होंने अभी तक पूरी तरह से अपना काम आरम्भ नहीं किया है। बाकी क्यू॰टी॰सी॰ के सामने सामान्यतया यह समस्या आ रही है कि लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा उनकी सेवाओं का सीमित उपयोग किया जा रहा है।

SC/ST gtaff in Nationalised Banks

103. SHRI JAGIR SINGH DARD : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have maintained any records of the number of employees belonging to SC/STs in various posts in the Nationalised Banks; and

(b) if so, whether these records have been kept upto date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) Yes, Sir. Information regarding representation of SC/ST employees in the Public Sector Banks is being compiled and has been maintained on yearly basis as on 31st December each year. Latest available information as on 31-12-1992 is as follows :

	SCs	STs
Officers	23224	7357
Clerks	64750	20036
Sub-staff (excluding Sweepers)	39406	9914
Sub-staff (Sweepers)	16414	1550

प्रतिभूति घोटाले के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन

104. **श्री राम जेठमलानी:**
डा॰ जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को प्रतिभूति घोटाले के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त प्रतिवेदन में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में अनेक खामियों को इस प्रतिभूति घोटाले के प्रमुख कारण के रूप में दर्शाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन खामियों को दूर करने हेतु कोई तत्काल कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या-क्या और कब-कब सुधार किये गये हैं तथा भविष्य में और क्या-क्या सुधार किये जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद): (क) से (घ) संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21-12-1993 को संसद में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की गयी है। सरकार द्वारा "की गई कार्यवाही की रिपोर्ट" तैयार की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।